



“ बीड़ी उद्योग का सामाजिक विकास में प्रभाव का विश्लेषणात्मक अध्ययन ”

राजकरण चर्मकार

शोधार्थी , समाजशास्त्र विभाग , अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

सारांश –

भारतीय बीड़ी समुदाय में जातिगत संस्तरण की विशेषताओं का अध्ययन एक नवीन प्रघटना है। यद्यपि ब्रिटिस काल में हिन्दू जातियों या मुस्लिम समाज के अध्ययनों एवं जनगणना रिपोर्टों में मुस्लिम जनसंख्या के जातिगत विभाजन का कुछ प्रारम्भिक विवरण प्राप्त होता है। यद्यपि इन अध्ययनों में सैद्धान्तिक अस्पष्टता सांख्यिकीय भ्रांतियाँ एवं अपूर्णता पायी जाती हैं। वास्तविक रूप में मुस्लिम बीड़ी समुदाय के अध्ययन का कार्य स्वतंत्रता के पश्चात् अंसारी, मेरियट, जरीना, गुहा, मिश्रा, इम्तियाज अहमद आदि महत्वपूर्ण समाजशास्त्रियों एवं मानवशास्त्रियों के अध्ययनों से प्रारम्भ होता है। रीवा में बीड़ी समुदाय की सामाजिक हैसियत और भेदभाव का मुख्य आधार जाति है। यह तथ्य भारत के सभी धार्मिक समुदायों पर लागू होता है। भारत के ऐतिहासिक विवरण से स्पष्ट होता है कि यहाँ ऊँची जातियों ने हमेशा कमजोर जातियों को दबाया है। और उनका मानसिक तथा शारीरिक शोषण किया है। जाति का वर्ग और लिंग के साथ भी गहरा रिश्ता होता है। यह साफतौर पर कहा जा सकता है कि उच्च जातियों में अमीर और धनवान व्यक्तियों की संख्या ज्यादा होती है जबकि पिछड़ी और दलित जातियों में गरीबों, दरिद्रों और मेहनतकश तबकों की कम होती है। इसके अतिरिक्त महिलाओं को कुछ कम तथा कुछ ज्यादा अधिकारों को अलग-अलग समूहों व वर्गों में रखा जाता है। इन परिघटनाओं का सीधा संबंध जाति व्यवस्था के अनुक्रमिक असमानता, छुआ-छूत, सहजातीय विवाह, और पुस्तैनी पेशों से बंधा होना जैसे नियमों से है जिन्हें धर्म की वैधता भी प्राप्त है।

मुख्य शब्द – बीड़ी, शोषण, सामाजिक हैसियत और भेदभाव ।

प्रस्तावना –

आदि काल से ही भारत विभिन्न धर्मों, मतों, सम्प्रदायों, संस्कृतियों, प्रजातियों, जातियों और जनजातियों की भूमि रहा है। इन सभी ने भारत की सामाजिक व्यवस्था व संगठन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उन्हें एक विशिष्ट स्वरूप प्रदान किया है। बीड़ी श्रमिक समूह इस भू-भाग के प्राचीनतम गाँवों, शहरों कस्बों आदि-आदि निवासियों के प्रतिनिधि हैं। इन्हें श्रमिक इसलिए कहा जाता है कि ये भारत के गाँवों के निवासी माने जाते हैं और सम्भवतः भारत में आर्यों के आगमन से पूर्व यहाँ ये ही लोग निवास करते थे। वेरियर एल्विन भी इन्हें ग्रामीण श्रमिक के नाम से संबोधित करते हैं। उन्होंने लिखा है, “ग्रामीण श्रमिक भारत वर्ष की वास्तविक स्वदेशी उपज है जिनकी उपस्थिति में प्रत्येक व्यक्ति विदेशी है। ये वे ग्रामीण लोग हैं जिनके नैतिक अधिकार और दावे हजारों वर्ष पुराने हैं वे सबसे पहले यहाँ आए।” श्रमिक के मसीहा



ठक्कर बापा और भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य श्री जयपाल सिंह ने इन्हें श्रमिक नाम से संबोधित किया है।

भारतीय समाज में दलित बीड़ी श्रमिक सामाजिक-आर्थिक पायदान पर सबसे नीचे है। सामाजिक रूप से विपन्न इन दलित बीड़ी श्रमिकों में प्रति माह औसत खर्च काफी कम आता है। इस पैमाने पर यदि देखा जाय तो दलित बीड़ी श्रमिक की स्थिति अनुसूचित जनजाति से भी निम्न स्तर की है। समाज में लोग अक्सर बराबरी और सभी के एक जैसे होने की बात कहते मिल जायेंगे, लेकिन हम इन बातों को इतिहास की दृष्टि से देखें तो यह बातें और दावे खोखले और सच से परे मिलेंगे। यह हकीकत सिर्फ भारत के सन्दर्भ में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों के बारे में भी उतनी ही कड़वी है, भारतीय समाज ने मनुष्य को जन्म के आधार पर बाँटना सदियों पहले शुरू कर दिया था। इस बंटवारे में किसी को समाज के शीर्ष पर रख दिया गया तो किसी को निचले पायदान पर। इसी के आधार पर मनुष्य की सामाजिक हैसियत और स्थान का फैसला किए जाने लगा। पैदा होते ही समाज मनुष्य को जातियों में बाँट देता है और जाति को ही समाज में व्यक्ति के बड़े या छोटे होने का मापदंड बना देता है। जाति व्यवस्था के कारण शोषण भी संस्थागत होता चला गया। इसी जाति व्यवस्था के तहत छोटी कही जाने वाली जातियों के लोगों को सदियों से शिक्षा से दूर रखा गया। जाति से ही समाज में सम्मान और स्थान निर्धारित किया जाने लगा। परिणाम यह हुआ कि समाज का एक बड़ा तबका लगातार पिछड़ता चला गया और यह प्रक्रिया आज तक चली आ रही है। बीड़ी श्रमिक तो जाति प्रथा के बिल्कुल खिलाफ है पर इसके मानने वालों का हाल बहुत खराब है।

जाति आधारित समाज मुख्यतः सत्ता केन्द्रित समाज है जहाँ पर सभी राजनीतिक, सांस्कृतिक प्रणाली, धार्मिक व्यवस्थाएँ और आर्थिक संरचना का एक ही मकसद होता है, उच्च जातियों के हितों को साधना और सत्ता पर उनके नियंत्रण को बरकरार रखना, किसी भी प्रकार एकाधिपत्य चाहे वह ज्ञान, सत्ता, धर्म या धन-दौलत का हो न सिर्फ अनैतिक है, बल्कि पूरी तरह से अक्षम भी साबित होता है, जाति व्यवस्था ने हमारे देश की अधिकांश दलित बहुजन आबादी को सत्ता, ज्ञान और अर्थ से दूर रख कर उनकी संज्ञानात्मकता और आत्मविश्वास को रौंदने का काम किया है। जिसके फलस्वरूप हम अपने चारों ओर गरीबी के समंदर के बीच समृद्धि के छोटे-छोटे टापू देखते हैं। इसके अलावा हमारी सभ्यता और संस्कृति बुरी तरह से खोखली हो चुकी है। अब जरूरत है कि एक प्रगतिशील एवं अंधविश्वास मुक्त समाज की कल्पना की जाए और सामाजिक सुधार के कार्य को गंभीरता से लिया जाये। इन सब मुद्दों के मद्देनजर हमारा यह मानना है कि जाति व्यवस्था को नेस्तनाबूद किए बिना भारत में कोई भी सामाजिक बदलाव की बात करना सिर्फ एक कोरी कल्पना होगी बल्कि यह एक गैर जिम्मेदाराना विचार होगा।

विश्लेषण –

ग्रामीण श्रमिक देश के प्राचीनतम वंशजों में से एक हैं जिनके जीवन और संस्कृति की सबसे प्रमुख विशेषता है— आर्थिक और सामाजिक पिछड़ा पन, धार्मिक अंधविश्वास, जीवन की सरलता और आनंद, स्वतंत्र, निर्भयता, विशेष रीति-रिवाज एवं रहन-सहन की पद्धतियाँ एवं विभिन्नता के आयाम अपने में समेटे हुए हैं।

बीड़ी श्रमिक ‘विशेष पिछड़ी’ जाति के लोग हैं। जिसकी अपनी अलग संस्कृति, रीति-रिवाज, विश्वास, मूल्य, आदि हैं। श्रमिक सदियों से पिछड़े पन के कारण राष्ट्र की सामान्य जीवन धारा से अलग पड़कर प्रगति की दौड़ में ये पिछड़ गये हैं। ग्राम, कस्बों, शहरों, पहाड़ों, वन स्थलों, दुर्गम क्षेत्रों में निवास के कारण श्रमिक तक सहायता का प्रकाश पूर्णतः नहीं पड़ पाया है। वर्तमान में बीड़ी श्रमिक संक्रमण काल की अवस्था है। सांस्कृतिक, आर्थिक, शिक्षा-स्वास्थ्य आदि की समस्याएँ प्रमुख हैं जो कि बीड़ी श्रमिक के विकास में बाधक हैं।

बीड़ी समुदाय की सामाजिक स्थिति कम से कम अस्पृश्यता के मामले में तो वैसी ही है, जैसी कि पूर्व में राजतंत्र अर्थात् राजा-महाराजाओं के समय में थी। इसमें सबसे क्रांतिकारी परिवर्तन उस समय आया जब देश में अंग्रेजों ने अपनी संप्रभुता कायम की। यह बात कड़वी लेकिन सच है कि उस समय पहली बार किसी भी रूप में कम से कम न्याय का एक रूप तो बीड़ी श्रमिकों को देखने को मिला।

बीड़ी समुदाय अस्पृश्य बीड़ी श्रमिकों को लगा कि उनकी स्थिति में तेजी से सुधार होगा लेकिन ऐसा हो नहीं सका। आजादी के बाद एक बार फिर देश की बागडोर लोकतंत्र के बहाने पुराने राजाओं और धनिकों के हाथों में आ गई। इसलिए जो सुधार बीड़ी श्रमिकों की स्थिति में होने चाहिए थे, वह हो नहीं सके। उनकी शिक्षा में कुछ हद तक सुधार हुआ, लेकिन अन्य समाजों के साथ उनके संबंधों में कहीं भी सुधार देखने को नहीं

मिला। भारतीय समाज की आचार संहिता मनुसंहिता के अनुसार मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और पैरों से शुद्रों का जन्म माना गया है। हिन्दू समाज में जो स्थिति बीड़ी श्रमिकों की रही है वही स्थिति अन्य श्रमिकों की है। आजादी से पहले बीड़ी श्रमिक बिरादरी के लोग पूर्णतः खेती का कार्य करते थे। जो आज भी इस समुदाय के लोग वही कार्य करते हैं।

आजादी के पूर्व बीड़ी श्रमिक के लोगों के संबंध उच्च वर्गीय हिन्दू व मुस्लिम समुदाय से नहीं थे। विद्यालयों में इनके बच्चों को प्रवेश नहीं मिलता था। इन्हें समाज में अन्य जगह उठने-बैठने का अधिकार नहीं था। बीड़ी श्रमिकों की महिलाओं के स्पर्श से स्वर्ण महिलाएँ खुद को अपवित्र मानती थीं। बीड़ी श्रमिक समुदाय पर आज भी इस प्रकार के अनेक प्रतिबंध हैं। इस वर्ग की महिलाएँ सार्वजनिक रूप से भाषण नहीं कर सकतीं, उच्च वर्ग के युवा कभी भी उनका अपमान कर सकते हैं, लेकिन इसका विरोध करने पर न केवल उनका अपमान किया जाता है, बल्कि हत्या तक कर दी जाती है। आजादी से पूर्व बीड़ी श्रमिक बिरादरी के लोग मुफ्त में प्राप्त बंजर जमीन पर झोपड़ी बनाकर रहते थे। इनकी अपनी एक बस्ती होती थी, जो गाँव व शहर से दूर या नजदीक होती थी। बीड़ी श्रमिकों या कामगारों के निवास का क्षेत्र बीड़ी मोहल्ला या बीड़ियों की बस्ती कहा जाता है।

बीड़ी समुदाय के लोगों के कोई संबंध समाज के उच्च वर्ग अर्थात् सम्पन्न लोगों से नहीं होते हैं। जबकि वर्तमान समय में इनके बीच सिर्फ व्यावसायिक संबंध देखने को मिलता है। कुछ परिवारों ने स्वीकार किया है कि पूर्व में बीड़ी समाज के लोगों का इनके यहाँ आना जाना होता था। जबकि कुछ परिवार ने स्वीकार किया है लगभग तीन दशक पूर्व तक बीड़ी समुदाय के लोगों के द्वारा उन्हें शादी ब्याह व अन्य कार्यक्रमों व अवसरों में सिर्फ आना जाना ही होता है। उपरोक्त विवेचना से सिद्ध होता है कि बीड़ी उद्योग या इस उद्योग में संलग्न बीड़ी श्रमिकों का सामाजिक विकास में प्रभाव बहुत दयनीय स्थित में है।

रीवा में बीड़ी उद्योग दम तोड़ता दिख रहा है। इस उद्योग में लगी कंपनियाँ हॉफ रही हैं। इलाके में बीड़ी कारीगरों की संख्या तेजी से घट रही है। ये कारीगर अब दूसरे धंधे की ओर उन्मुख हो रहे हैं। मुख्य रूप से इसके दो कारण बताये जाते हैं। एक तो बीड़ी मजदूरों के प्रति सरकार की उदासीनता और दूसरा बीड़ी की मांग में कमी। वैसे एक अन्य वजह मजदूरों के प्रति बीड़ी कंपनियों की बेरुखी भी बतायी जाती है। देश भर में तम्बाकू उन्मूलन के लिए हो रहे प्रयास के बीच रीवा में दम तोड़ रहे बीड़ी उद्योग की खबर राहत देने वाली है। अगर इस इलाके के तम्बाकू उन्मूलन अभियान के तहत कोई कार्यक्रम चलाये जायें तो यह विकल्प तलाश रहे बीड़ी कारीगरों के लिए एक बड़ा अवसर होगा। उन्हें छोटे-छोटे उद्योगों का प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजमर्रा के परम्परागत पेशों से मुक्ति दिलाई जा सकती है, रीवा में ऐसा प्रयास कर देश भर के तंबाकू उद्योग में लगे मजदूरों को एक नयी राह दिखायी जा सकती है, तकरीबन पांच साल पहले रीवा में बीड़ी उद्योग चरम पर था। इस क्षेत्र में बीड़ी मजदूरों की संख्या करीब 30 हजार थी। यहां बनी बीड़ियाँ प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में जाती थीं। रीवा में काम करने वाली बीड़ी कंपनियों ने तो खूब तरक्की की, लेकिन मजदूरों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। कई पीढ़ियों से इस धंधे में लगे मजदूरों के जीवन स्तर में कोई बदलाव नहीं आया।

निष्कर्ष –

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि बीड़ी उद्योग से सरकार को हर वर्ष लाखों रुपये का राजस्व मिलता है। लेकिन इस धंधे से जुड़े श्रमिक आर्थिक तंगी, बीमारी, लाचारी के बीच घुट-घुटकर जीने को मजबूर हैं। यहाँ के बीड़ी मजदूरों को सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल रहा है। अधिकांश अल्पसंख्यक वर्ग के लोग रीवा के अन्य जिले की तरह जवा के बीड़ी श्रमिकों को भी यह रोजगार विरासत में मिला है। इस पेशे से ज्यादातर अल्पसंख्यक वर्ग के लोग जुड़े हैं। जिला मुख्यालय के पूर्वी हिस्से में बसे अल्पसंख्यक वर्ग के घर-घर में बीड़ी बनाने का काम होता है। इन श्रमिकों के दम पर बीड़ी उद्योग का बाजार तो गुलजार हो रहा है, लेकिन खुद इनकी जिंदगी बोझ बनती जा रही है। लंबे समय से बीड़ी बनाने के काम में लगे ज्यादातर श्रमिक कई तरह की बीमारियों की चपेट में हैं। कमर दर्द, हाथ पैर के जोड़ों में जकड़न, गर्दन में दर्द व पाचन तंत्र की शिकायत श्रमिक में आम है। बहुत सारे श्रमिक आँखों से कम दिखाई देने व बहरापन की भी शिकायत करते हैं। आसपास के जानकार बताते हैं कि तंबाकू में निकोटिन कोलतार व कार्बन मोनोआक्साइड की मात्रा होती है। यह रक्त को दूषित कर देता है।

संदर्भ –

- बघेल, डॉ. डी. एस., समकालीन भारतीय समाज और संस्कृति, नवीन प्रकाशन, पृ.सं. 46
- मुकर्जी श्यामाचरण, परिवार और समाज, राधाकमल प्रकाशन इन्दौर, पृ.सं.38
- सिन्हा, डॉ. व्ही. सी., औद्योगिक अर्थशास्त्र, पृ. सं. 37
- सिन्हा, डॉ. व्ही. सी., औद्योगिक अर्थशास्त्र, पृ. सं. 43
- पंचमुखी, पी. आर. एवं अन्निगेरी बी.बी. (2000), तम्बाकू से स्थानान्तरण के अर्थशास्त्र, आई. डी. आर. सी. कनाडा द्वारा प्रायोजित अध्ययन के अप्रकाशित रिपोर्ट
- पाण्डेय, आनन्द कुमार, 2014 मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल, पृ.सं. 395
- पाण्डेय, आनन्द कुमार, 2014 मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल, पृ.सं. 395
- श्रीवास्तव, ए., (2000) भूमिका और वैश्विक तम्बाकू में मीडिया की जिम्मेदारी नियंत्रण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कमीशन पेपर वैश्विक तम्बाकू पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जनवरी 2007-09, नई दिल्ली भारत
- अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (2001), इण्डिया टूडे में बीड़ी मजदूरों का एक अध्ययन
- अग्रवाल, ए. एच. भारतीय अर्थव्यवस्था, पृ.सं. 39-40
- अग्रवाल, ए. एच. भारतीय अर्थव्यवस्था, पृ.सं. 530-32
- अग्रवाल, ए. एच. भारतीय अर्थव्यवस्था, पृ.सं. 556-57
- गुप्ता, पी.सी.सी. एवं लालकृष्ण एस. (2004), भारत में तम्बाकू नियंत्रण पर सम्पादकों की रिपोर्ट। नई दिल्ली स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
- गुप्ता, आर. सी. उद्योग का संगठन एवं प्रबंध, 1980-81, पृ.सं. 29
- गुप्ता, आर. सी. उद्योग का संगठन एवं प्रबंध, 1980-81, पृ.सं. 62
- गुप्ता, आर. सी. उद्योग का संगठन एवं प्रबंध, 1980-81, पृ.सं. 66-67